



# शाहजहाँपुर पुलिस



**प्रेस नोट दि०- 22.08.24**

**थाना रोजा पुलिस द्वारा लूट/ छेडखानी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को मय घटना मे प्रयुक्त आटो रिक्शा व लुटी गयी मोबईल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया ।**

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन , पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी सदर श्री बी.एस.वीर कुमार के कुशल प्रयवेक्षण मे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना रोजा की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18/8/2024 को ग्राम जमुही मोड बाईपास रोड पर मे हुई छेडखानी व लूट की घटना के संबध मे मु०अ०सं० 504/24 धारा 76/115(2)/309(4)/317(2)/317(2) बीएनएस मे अभियुक्त सोनू पुत्र रामऔतार नि० मोहल्ला बाजीदखेल बग्गर थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर उम्र 25 वर्ष को आज दिनांक 22.08.2024 को घटना मे प्रयुक्त आटो रिक्शा व लुटी गयी मोबईल फोन के साथ रोजा पुलिस द्वारा दउरिया मोड से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त :-**

सोनू पुत्र रामऔतार नि० मोहल्ला बाजीदखेल बग्गर थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर उम्र 25 वर्ष ।

**पंजीकृत अभियोग :-**

मु०अ०सं० 504/24 धारा 76/115(2)/309(4)/317(2)/317(2) बीएनएस

**बरामदगी :-**

1. एक अदद मोबाइल वीवो कम्पनी
2. घटना मे प्रयुक्त आटो रिक्शा

**गिरफ्तार पूछताछ :-**

अभियुक्त सोनू पुत्र रामऔतार निवासी मोहल्ला वाजीदखेल बग्गर थाना कोतवाली जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 25 वर्ष पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब घटना के दिन मैं अपने आटो मे लडकी को बैठकर अपने आटो से नेशनल हाइवे होते हुए जमुका के पास थोडा आगे बाईपास रोड पर ले गया था शराब के नशे मे था बैठी लडकी के साथ मैंने छेडछाड की थी उसके बाद मेरे आटो से उतर गई लडकी का मोबाईल मैंने ले लिया था जिससे वह फोन ना कर सके साहब गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिये ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-**

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
2. उ० नि० प्राजल सिंह
3. का० दीप नागर